

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

No. 539]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2019/भाद्र 26, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2019/BHADRA 26, 1941

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

## (आय-कर)

सा.का.नि. 662(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 144खक की उप धारा (18) और (21) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2019 है ।
  - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 2 में,-
  - (क) नियम 10पग के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"घङ .- अनुमोदनकर्ता पैनल

**10पघ. अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश .-** धारा 144खक की उप धारा (4) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश.-

4810 GI/2019 (1)

- (i) प्ररूप सं. 3गड.झक में प्ररूप सं. 3गड.झ की एक प्रति और अन्य ऐसे दस्तावेजों के साथ जिसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त उचित समझे में किया जाएगा; और
- (ii) हिंदी या अंग्रेजी में चार सेट में प्रस्तृत किया जाएगा।

**10पड.- अनुमोदनकर्ता पैनल के समक्ष प्रक्रिया.-** (1) नियम 10पघ के अधीन प्राप्त किए गए निर्देश को उक्त पैनल के अध्यक्ष द्वारा ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर अन्य सदस्यों के बीच परिचालित करवाया जाएगा।

- (2) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस जारी करवाएगा जिसमें सुनवाई का स्थान और तारीख विनिर्दिष्ट होगी।
- (3) अनुमोदनकर्ता पैनल की बैठक ऐसे स्थान पर होगी जैसा कि अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा विनिश्चित किया जाए।

**10पच पारिश्रमिक.-** (1) अनुमोदनकर्ता पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए उक्त पैनल का अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

- (i) छह हजार रुपए प्रतिदिन की बैठक फीस ; और
- (ii)यात्रा भत्ते जिसके अंर्तगत स्थानीय यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए परिवहन प्रभार भी हैं (जिसके अंर्तगत आवास भी है) जैसा कि भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के अधिकारी को ग्राह्य है ।
- (2) अनुमोदनकर्ता पैनल का व्यय केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के बजटीय अनुदानों से किया जाएगा।"
- (ख) परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 3गड.झ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## "प्ररूप सं. 3गड.झक

[नियम 10पघ देखें]

आयकर-अधिनियम, 1961 की धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल को किए जाने वाले निर्देश के लिए प्ररूप

सेवा में,	
	अध्यक्ष,
	अनुमोदनकर्ता पैनल

महोदया/महोदय,

मैंने आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्ररूप 3गड.छ में तारीख -----को एम/एस ------ (निर्धारिती), पैन------के मामले में ठहराव को एक अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित करने के लिए निर्देश प्राप्त किया है, और निर्धारिती के स्पष्टीकरण और अन्य सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि यह ठहराव एक अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है और मेरा समाधान संलग्न प्ररूप सं. 3गड.झ में अभिलिखित है।

[भाग  $\Pi$ —खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

मैं अधिनियम की धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन उक्त ठहराव को एक अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करता हूं ।

तारीख:

स्थान:

संलग्नक: यथोपरोक्त ।

भवदीय

प्रधान आयुक्त या आयुक्त का नाम और पदनाम

[अधिसूचना सं. 67/2019 [फा.सं. 370142/8/2019-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधान)

**टिप्पण**: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ), तारीख 16 सितंबर, 2019 द्वारा किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2019

#### (INCOME-TAX)

**G.S.R. 662**(**E**).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (18) and (21) of section 144BA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- 1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Income-tax (8<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Part II,-
  - (a) after rule 10UC, the following shall be inserted, namely:-

"DE.- Approving Panel

- **10UD. Reference to the Approving Panel.-** A reference under sub-section (4) of section 144BA to an Approving Panel shall be.-
  - (i) made in Form No 3CEIA along with a copy of Form No 3CEI and such other documents which the Principal Commissioner or the Commissioner deems fit; and
  - (ii) submitted in four sets, either in Hindi or English.
- **10UE. Procedure before the Approving Panel.-** (1) A reference received under rule 10UD shall be caused to be circulated by the Chairperson of the said Panel among the other members within seven days from the date of receipt of such reference.
- (2) The Chairperson of the Approving Panel shall cause to be issued the notice to the Assessing Officer and the assessee affording an opportunity of being heard specifying therein the date and place of hearing.

- (3) The meetings of the Approving Panel shall take place at such place as the Approving Panel may decide.
- **10UF. Remuneration.-** (1) For attending the meeting of an Approving Panel, the Chairperson and other members of the said Panel shall be entitled to-
  - (i) a sitting fee of six thousand rupees per day; and
  - (ii) travelling allowances including transportation charges for local travel and daily allowances (including accommodation) as admissible to an officer of the rank of Special Secretary to the Government of India.
- (2) The expenditure of an Approving Panel shall be met from the budgetary grants of the Department of Revenue in the Ministry of Finance of the Central Government."

(b) in Appendix II, after Form No 3CEI, the following Form shall be inserted, namely:-
"Form No 3CEIA
[See rule 10UD]
Form for making reference to the Approving Panel under sub-section (4) of section 144BA of the Income-tax Act, 1961
To,
The Chairperson Approving Panel
Madam/ Sir,
Whereas I have received the reference from the Assessing Officer under sub-section (1) of section 144BA of the Income-tax Act, 1961 (the Act) in Form 3CEG on for declaring an arrangement as an impermissible avoidance arrangement in case of M/s (the assessee), PAN, and after considering the explanation of the assessee and all other relevant facts, I am satisfied that the arrangement is an impermissible avoidance arrangement and my satisfaction is recorded in enclosed Form No 3CEI.  I hereby make a reference under sub-section (4) of section 144BA of the Act to the Approving Panel for
declaring said arrangement as an impermissible avoidance arrangement.
Date:
Place: Yours faithfully,
Enclosure: As above.
Name and designation of the Principal Commissioner or Commissioner
[Notification No. 67/2019/ F. No. 370142/8/2019-TPL] NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy & Legislation)
<b>Note :</b> The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) <i>vide</i> number S.O. 969(E), dated the 26 <sup>th</sup> March, 1962 and were last amended <i>vide</i> notification number G.S.R. 661(E), dated 16th September, 2019.